रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922
No. 495] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 743(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. खनिज रियायत नियम, 1960 को (जिसे इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) के नियम 22, उपनियम 4(क) में "उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के " शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " करने के लिए सक्षम होगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

> " उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, उनकी अपनी-अपनी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में निम्नलिखित गैर-धात्विक या औद्योगिक खनिजों की बाबत विवृत्त खानों (भूमिगत खानों से भिन्न खानें) की खनन योजना का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होगी, अर्थात् -

1. एगेट
2. बालक्ले
3. बैराइट
4. कालकैरिअस सैंड

2594 GI/2000

5. कैल्साइट
6. चॉक
7. क्ले (अन्य)
8. कोरंडम
9. डायस्पोर
10. डोलोमाइट
11. डूनाइट/पायरोसीनाइट
12. फैल्साइट
13. फैल्सपार
14. फायरक्ले
15. फस्च क्वार्टजाइट
16. जिप्सम
17. जैस्पार
18. काओलिन
19. लैटराइट
20. लाइमकंकड़
21. ओकर
22. पायरोफिलाइट
23. क्वार्टज
24. क्वार्टजाइट
25. सैंड (अन्य)
26. शैल
27. सिलिका सैंड
28. स्लेट
29. स्टीटाइट/टाल्क/सोपस्टोन "

4. मूल नियमों के नियम 37 के उपनियम (2) में " नियम 35 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

5 मूल नियमों के नियम 64 क, के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" 64 ख. संसाधित किये जाने वाले खनिजों के मामले में स्वामिस्व (रायल्टी) का प्रभारित किया जानाः

(1) यदि पट्टाकृत क्षेत्र के भीतर अप्रसाधित अयस्क खनिज का प्रसंस्करण किया जाता है, तो पट्टा क्षेत्र से हटाए गए संसाधित खनिज पर स्वामिस्व (रायल्टी) प्रभार्य होगी ।

(2) यदि अप्रसाधित अयस्क खनिज किसी पट्टाकृत क्षेत्र से प्रसंस्करण संयत्र के लिए जो पट्टाक्षेत्र से बाहर अवस्थित है, हटाई जाती हैं तो स्वामिस्व (रायल्टी) अप्रसाधित अयस्क खनिज पर प्रभार्य होगी और प्रसंस्कृत उत्पाद पर प्रभार्य नहीं होगी ।

64 ग. अवशिष्ट/अग्राह्य पर स्वामिस्व (रायल्टी)- पाटन के लिए और विक्रय या उपभोग के लिए नहीं पट्टाकृत क्षेत्र से अवशिष्टों या अग्राह्य के पट्टाकृत क्षेत्र से बाहर/ हटाने पर ऐसे अवशिष्ट या अग्राह्य स्वामिस्व के संदाय के लिए दायित्वाधीन नहीं होंगे ।

परन्तु ऐसी पाटित अवशिष्ट या अग्राह्य की दशा में जिनका ऐसे पाटन की तारीख के पश्चातवर्ती किसी तारीख को विक्रय या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है तब ऐसे अवशिष्ट या अग्राह्य स्वामित्व के संदाय के लिए दायी होंगे ।

64 घ. खनिजों पर मूल्य के अनुसार आधार पर स्वामिस्व की संगणना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत- प्रत्येक खान का स्वामी उसका अभिकर्ता, प्रबंधक,कर्मचारी, ठेकेदार या उप पट्टाधार, जहां स्वामिस्व मूल्य के अनुसार आधार पर प्रभारित की जाती है वहां खनिजों पर स्वामिस्व के रकम की संगणना करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा, अर्थात्-

मार्गदर्शक सिद्धांत

विशिष्ट मामलों में स्वामिस्व (रायल्टी) की संगणना के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत निम्नप्रकार हैं, अर्थात् -

मामला 1 - खान स्वामियों द्वारा घरेलू बाजार में विक्रीत खनिजों के लिए:

(क) एकल गन्तव्य स्थल परिवहन - एकल गंतव्य स्थल परिवहन की दशा में, खनिज का एक बार खान स्थल पर लदान किया जाता है और सड़क या रेल या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा सीधे ही गंतव्य स्थल पर भेज दिया जता है और अंततः गंतव्य स्थल पर उतार दिया जाता है । ऐसे मामलों में, खान स्वामियों द्वारा उनके विक्रय वाउचरों में या बिलों या बीजकों में दर्शाए अनुसार वास्तविक रूप से वसूल की गई विक्रय कीमत, जिसमें परिवहन की लागत और गंतव्य स्थल पर उतराई की लागत कम की गई है, मूल्य के अनुसार स्वामिस्व की संगणना के लिए विचार किया जाना चाहिए । स्वामिस्व पर करों का संदाय से बचने के लिए खान स्वामी, अपने स्वयं के हित में स्वामिस्व को सम्मिलित करते हुए मिश्रित कीमत उपदर्शित करने के बजाए विक्रय वाउचरों या बिलों या बीजकों में कीमत और स्वामिस्व का पृथक-पृथक रूप से अभिलेख कर सकते हैं । उस दशा में जहां कीमत और स्वामिस्व पृथक-पृथक रूप से न दर्शाया गया हो यह उपधारणा की जा सकेगी कि विक्रय वाउचरों, या बिलों या बीजकों में उपदर्शित कीमत स्वामिस्व के अलावा है और स्वामिस्व तदनुसार प्रभारित की जाएगी ।

विक्रय कीमत या कटौतियों के संबंध में किसी शंका की दशा में किसी रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा ।

उस दशा में जहां कोई संव्यवहार अनंतिम विक्रय वाउचर या बीजक या बिल के आधार पर किया जाता है तब स्वामिस्व (रायल्टी) की संगणना अंतिम वाउचर या बीजक या बिल के अंतिम समाधान के अधीन रहते हुए अनंतिम होगी ।

(ख) **बहु गंतव्य स्थल परिवहन** - बहुगंतव्य स्थल परिवहन की दशा में वास्तविक रूप से वसूल की गई विक्रय कीमत में से पट्टाकृत क्षेत्र से बाहर भिन्न-भिन्न केन्दों पर परिवहन, लदाई और उतराई की सकल लागत, बीमा प्रभार, सेम्पलिंग और विश्लेषण प्रभार, स्वामिस्व, कर, उपकर और स्थान प्रभार, जो भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर लागू हो और जो खान स्वामी द्वारा उनके विक्रय वाउचर या बिल या बीजकों में पृथक-पृथक रूप से दर्शाए गए हैं, को घटा कर मूल्यानुसार स्वामिस्व की संगणना करने में विचार किया जाएगा । यदि कीमत और स्वामिस्व पृथक-पृथक रूप से न दर्शाए गए हों तो यह उपधारणा की जाएगी कि विक्रय वाउचरों या बिलों या बीजकों में उपदर्शित कीमत स्वामिस्व के अलावा है और स्वामिस्व तदनुसार प्रभारित की जाएगी ।

विक्रय कीमत या कटौतियों के संबंध में किसी शंका की दशा में किसी रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा ।

उस दशा में जहां कोई संव्यवहार अनंतिम विक्रय वाउचर या बीजक या बिल के आधार पर किया जाता है तब स्वामिस्व (रायल्टी) की संगणना अंतिम वाउचर या बीजक या बिल के अंतिम समाधान के अधीन रहते हुए अनंतिम होगी ।

मामला 2- निर्यात किए जाने वाले खनिजों के लिए

क) सीधा निर्यात- खान स्वामियों द्वारा सीधे निर्यात की दशा में स्वामिस्व के प्रयोजन के लिए विक्रय मूल्य सामान्यतया वसूल की गई पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत (एफ ओ बी) होगी, इसमें खदान से पत्तन तक परिवहन प्रभार पट्टाकृत क्षेत्र से बाहर, लदाई और उतराई प्रभार, पैकिंग प्रभार, पत्तन प्रभार (इसके अंतर्गत सैम्पलिंग और विश्लेषण तथा डेमरेज प्रभार, यदि कोई हो, आते हैं) बीमा प्रभार, स्वामिस्व, कर और निर्यात के लिए उधार पर ब्याज प्रभार कम किया जाएगा । तथापि, लागत बीमा और भाड़ा (सी आई एफ) विक्रय की दशा में समुद्री भाड़ा, बीमा और गंतव्य पत्तन पर उतराई की लागत भी ऐसी कीमत में से कम की जाएगी । ऐसे प्रयोजनों के लिए खान स्वामी यथास्थिति पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत या लागत बीमा भाड़ा कीमत उपदर्शित करते हुए और प्रत्येक अन्य प्रभार पृथक-पृथक रूप से उपदर्शित करते हुए बीजक या बिल तैयार कर सकेगा ।

बिक्रय कीमत या कटौतियों के संबंध में किसी शंका की दशा में रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकांउटेंट का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) समिश्रण के पश्चात् निर्यात- संमिश्रण के पश्चात् खान स्वामी द्वारा निर्यात की दशा में खान स्वामी की दो या अधिक खानें या तो एक राज्य में या भिन्न-भिन्न राज्य में हो सकती हैं और वह अप्रसाधित अयस्क इन खानों से किसी एक केन्द्र पर ला सकता है और उसकी अपेक्षानुसार उन्हें मिला सकता है और संमिश्रित अयस्क या खनिज को निर्यात कर सकता है । ऐसे मामलों में सम्मिश्रित सामग्री पर कुल स्वामिस्व की संगणना ऊपर मामला 2 (क) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से की

जाएगी और उसका प्रभाजन संमिश्रण के लिए भिन्न-भिन्न खानों से निकाले गए अयस्कों की मात्रा के अनुपात के अनुसार किया जाएगा तथा संदाय उन राज्यों को किया जाएगा, जिनमें खानें अवस्थित हैं ।

विक्रय कीमत या कटौतियों के संबंध में किसी शंका की दशा में रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकांउटेंट का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा ।

मामला 3- एल्यूमिनियम, प्राथमिक स्वर्ण, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल और टिन- उस अवधि के दौरान उत्पादित अयस्क में कुल अंतर्विष्ट धातु पर जिसके लिए स्वामिस्व की संगणना की जाती है और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के अधीन कानूनी विवरणियों में रिपोर्ट या खान स्वामियों की बहियों में अभिलिखित की जाती है स्वामिस्व की संगणना के प्रयोजनों के लिए पहले विचार किया जाएगा और तब स्वामिस्व की संगणना की अवधि के दौरान स्वामिस्व तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, चांदी और टिन के लिए लंदन मैटल एक्सचेंज (जिसे इसमें इसके पश्चात् एल एम ई कहा गया है) में और स्वर्ण के लिए लंदन बुलियन माकेर्ट एसोसिएशन प्राइस (जिसे लंदन प्राइस के नाम से जाना जाता है) में औसत धातु कीमतों के प्रतिशत के रूप में संगणना की जाएगी। रूपए के संपरिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा दर समाचार पत्र अर्थात दि इकोनॉमिक टाइम्स में संगणना की अवधि की अंतिम तारीख को यथा प्रकाशित विक्रय दर होगी । वस्तु की एल एम ई कीमतों के लिए और लंदन कीमतों के लिए निम्नलिखित तीन स्रोतों में किसी को निर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्-

(i) नॉन-फैरस रिपोर्टः मिनरल एण्ड मैटल रिव्यू 28/30 अनंतवाडी, पी.ओ. बॉक्स 2749, मुंबई, 400002.

(ii) मैटल बुलेटिन 16, लोवर मार्श, लंदन, एस ई 17 आर.जे.

(iii) वर्ल्ड मैटल स्टैस्टिक्स (मंथली / क्वार्टरली समरी) बाई वर्ल्ड व्यूरो ऑफ मैटल स्टेस्टिटिक्स 27 ए, हाई स्ट्रीट वेयर, हर्टस, एस जी 129, बी ए , यूनाइटेड किंगडम ।

मामला 4- स्वर्ण और चांदी के उपोत्पाद -

मूल्यानुसार स्वामिस्व की संगणना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को उत्पादित धातु की कुल मात्रा और चांदी के लिए एल एम ई कीमत तथा स्वर्ण के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन प्राइस (जिसे लंदन प्राइस के नाम से जाना जाता है) से जोड़ा जाएगा जैसाकि ऊपर मामला 3 में है । तथापि, इस मामले में धातु के वास्तविक अंतिम उत्पादन पर विचार किया जाएगा बजाए स्वामिस्व की संगणना के प्रयोजनों के लिए उत्पादित अयस्क में धातु अंतर्वस्तु के ।

मामला 5- गृहीत खानों में उत्पादित खनिजों के लिए (एल्यूमिनिमय, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, निकिल, स्वर्ण और चांदी से भिन्न) और जिनका वास्तविक रूप से विक्रय नही हुआ है ।

भारत में, इस मामले के प्रयोजनों के लिए खनिजों से गृहीत खानों से उत्पादित खनिज अभिप्रेत है (एल्यूमिनिमय, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, निकिल, स्वर्ण और चांदी से भिन्न) और जिनका वास्तविक रूप से विक्रय नहीं हुआ है । ऐसे खनिजों पर मूल्यानुसार स्वामिस्व की संगणना

के लिए कोई कल्पित लागत उत्पादन लागत के आधार पर निकाली जाएगी । उत्पादन लागत खान स्वामियों द्वारा वर्ष की वार्षिक विवरणी में इस मामले से उपाबद्ध सूची में विनिर्दिष्ट मदों को लेखे में लेने के पश्चात् खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में विनिर्दिष्ट रीति में रिपोर्ट की जाएगी और तब इस रिपोर्ट की गई उत्पादन लागत में स्वामिस्व, उप कर, कर और अनिवार्य भाटक को, जो लागू हो, घटा दिया जाएगा । इस प्रकार निकाली गई शुद्ध लागत उक्त वर्ष के बाद वाली अवधि के दौरान मूल्यानुसार स्वामिस्व की संगणना के लिए आधार होगी ।

सूची

सकल उत्पादन लागत की संगणना के लिए लेखे में लिए जाने के लिए मदों की सूची निम्न प्रकार है, अर्थात् -

(i) प्रत्यक्ष लागत
  (क) खोज
  (ख) खनन
  (ग) सज्जीकरण
(ii) ऊपरी खर्च लागत
(iii) अवक्षयण
(iv) ब्याज
(v) स्वामिस्व
(vi) कर
(vii) अनिवार्य भाटक
(viii) पैकिंग प्रभार
(ix) अनुसंधान और विकास व्यय

टिप्पण - राज्य सरकारें यदि आवश्यक हो, स्वामिस्व संग्रहण के प्रयोजन के लिए, अग्रिम संदाय की प्रणाली लागू कर सकेंगी और वे तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार कोई अतिरिक्त शर्तें भी अधिरोपित कर सकेंगी " ।

6. मूल नियलों की अनुसूची- 1 में, प्ररूप "क" और प्ररूप "ख" में, "1 मील पैमाने " अंक और शब्दों के पश्चात् "या 1: 50,000" शब्द और अंक अंतःस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 7/3/99/खान-6]

एस.पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम, भारत के राजपत्र, में प्रकाशित सा.का.नि. सं0 1398, तारीख 26.11.1960 (अधिसूचना सं. एम- II-159 (1)/ 57, तारीख 11.11.1960 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

इन नियमों में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए:-

1.जी.एस.आर. सं0 1459 दिनांक 10.12.1960 (अधिसूचना सं0 एम-II-159 (1)/57 दिनांक 1.12.1960.

2.जी.एस.आर. सं0 880 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम-II-152/(13)/61 दिनांक 30.6.1961

3.जी.एस.आर. सं0 1133 दिनांक 16.9.1961 (अधिसूचना सं0 एम-II-169 (44)/61 दिनांक 7.9.1961.

4.जी.एस.आर. सं0 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम-II-164(12)/61 दिनांक 16.10.1961

5.जी.एस.आर. सं0 1446 दिनांक 9.12.1961 (अधिसूचना सं0 एम-II-159(18)/54 दिनांक 2.12.1961

6.जी.एस.आर. सं0 166 दिनांक 10.2.1962 (अधिसूचना सं0 एम-5-3(1)/61 दिनांक 1.2.1962

7.जी एस.आर. सं0 718 दिनांक 26.5.1962 (अधिसूचना सं0 एम-II-152(33)/62 दिनांक 16.5.1962

8.जी.एस.आर.सं0 1051 दिनांक 4.8.1962 (अधिसूचना सं0 एम II- 152(26)/59 दिनांक 1.6.1962

9.जी.एस.आर. सं0 1076 दिनांक 11.8.1962 (अधिसूचना सं0 एम-5-3(1)/61 दिनांक 6.8.1962

10.जी.एस.आर. सं0 1707 दिनांक 15.12.1962 (अधिसूचन सं0 एम—II-152(18)/61 दिनांक 4.12.1962

11.जी.एस.आर सं0 104 दिनांक 19.1.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-152(46)/62 दिनांक 5.1.1963

12.जी.एस.आर. सं0 805 दिनांक 11.5.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-152 (58)61 दिनांक 30.4.1963

13. जी.एस.आर सं0 842 दिनांक 18.5.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-152(11)62 दिनांक 6.5.1963

14.जी.एस.आर सं0 843 दिनांक 18.5.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-169(44)/61 दिनांक 6.5.1963

15.जी.एस.आर सं0 845 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम-II-169(44)/61 दिनांक 6.9.1963

16.जी.एस.आर सं0 1243 दिनांक 27.7.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-1(22)/63 दिनांक 18.7.1963

17.जी.एस.आर सं0 1214 दिनांक 27.7.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-1(23)/63 दिनांक 9.7.63

18.जी.एस.आर सं0 1278 दिनांक 3.8.1963 (अधिसूचना सं0 एम-II-152(37)/62 दिनांक 22.7.1963

19.जी.एस.आर.सं0 1595 दिनांक 5.10.1963(अधिसूचना सं0 एम-II-152 (53)/60 दिनांक 24.9.1963

20.जी.एस.आर सं0 1685 दिनांक 26.10.1963 (अधिसूचना सं0एम-II-152(57)/61 दिनांक 15.10.1963

21.जी.एस.आर.सं0 1348 दिनांक 19.9.1964 (अधिसूचना सं0 1(62)/63 एम II दिनांक 9.9.1964

22.जी. एस.आर. सं0 140 दिनांक 23.1.1965 (अधिसूचना सं0 1(52)/63 एम II दिनांक 14.1.1965

23. जी.एस.आर.सं0 793 दिनांक 5.1965 अधिसूचना सं0 1(62)/63 एम II दिनांक 26.5.1965

24.जी .एस.आर सं0 794 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम-II-1(25)/64 दिनांक 28.5.1965

25. जी एस .आर सं0 1011 दिनांक 24.7.1965 अधिसूचना सं0 1(17)/63 एम II दिनांक 19.7.1965

26.जी एस आर सं0 1398 दिनांक 25.9.1965 अधिसूचना सं0 1(33)/65 एम II दिनांक 10.9.1965

27.जी.एस.आर. सं0 369 दिनांक 18.3.1967 अधिसूचना सं0 1(26)/66 एम II दिनांक 4.3.1967

28.जी.एस.आर.सं0 370 दिनांक 2.3.1968 अधिसूचना सं0 1(2)/68 एम II दिनांक 23.2.1968

29.जी.एस.आर.सं0 634 दिनांक 1.4.1968 अधिसूचना सं0 1(42)/67 एम II दिनांक 30.3.1968

30.जी.एस.आर.सं0 703 दिनांक 13.4.1968 अधिसूचना सं0 1(3)/68 एम II दिनांक 30.3.1968.

31.जी.एस.आर.सं0 704 दिनांक 13.4.1968 अधिसूचना सं0 1(33)/67 एम II दिनांक 30.3.1968

32.जी.एस.आर.सं0 154 दिनांक 25.1.1969 (अधिसूचना सं0 1(3)/68 एम II दिनांक 17.1.1969

33.जी.एस.आर.सं0 791 दिनांक 15.3.1969 (अधिसूचना सं0 1(51)/65 एम-□ दिनांक 26.2.1969

34.जी.एस.आर. सं0 793 दिनांक 15.3.1969 अधिसूचना सं0 एम-□ दिनांक 5.3.1969

35.जी.एस.आर.सं0 939 (ई) दिनांक 15.3.1969 अधिसूचना सं0 1(8)/69 एम-□ दिनांक 12.4.1969

36.जी.एस.आर.सं0 1116 दिनांक 1.8.1970 अधिसूचना सं0 1(25)/69-एम-6 दिनांक 12.5.1970

37.जी.एस.आर.सं0 1117 दिनांक 1.8.1970 (अधिसूचना सं0 1(34)/68-एम-6 दिनांक 23.5.1970

38.जी.एस.आर सं0 1974 दिनांक 5.12.1970 अधिसूचना सं0 1(27)/70-एम-6 दिनांक 12.11.1970

39. जी.एस.आर सं0 1279 दिनांक 11.9.1971 (अधिसूचना सं0 1(33)/67-एम-6 दिनांक 22.7.1971

40. जी.एस.आर.सं0 1579 दिनांक 23.10.1971 (अधिसूचना सं0 1(3)/71-एम-6 दिनांक 6.9.1971

41.जी.एस.आर.सं0 1580 दिनांक 23.10.1971 (अधिसूचना सं0 1(9)/71-एम-6 दिनांक 7.9.1971

42.जी.एस.आर.सं0 1581 दिनांक 23.10.1971 अधिसूचना सं0 1(19)/71-एम-6 दिनांक 9.9.1971

43.जी.एस.आर.सं0 1582 दिनांक 23.10.1971 अधिसूचना सं0 1(4)/71-एम-6 दिनांक 9.9.1971

44.जी.एस.आर सं0 319 दिनांक 18.3.1972 (अधिसूचना सं0 1(26)/71-एम-6 दिनांक 14.2.1972

45.जी.एस.आर सं0 58 दिनांक 20.1.1973 अधिसूचना सं0 1(44)/72-एम-6 दिनांक 5.1.1973

46.जी.एस.आर.सं0 345 दिनांक 31.3.1973 (अधिसूचना सं0 1(6)/71-एम-6 दिनांक 13.3.1973

47.जी.एस.आर.सं0 617 दिनांक 9.6.1973 (अधिसूचना सं0 1(34)/71-एम-6 दिनांक 21.5.1973

48.जी.एस.आर सं0 1010 दिनांक 15.9.1973 (अधिसूचना सं0 1(12)/73-एम-6 दिनांक 31.8.1973

49.जी.एस.आर.सं0 1011 दिनांक 15.9.1973 (अधिसूचना सं0 1(31)/71-एम-6 दिनांक 31.8.1973

50.जी.एस.आर.सं0 1195 दिनांक 3.11.1973 (अधिसूचना सं0 1(11)/73-एम-6 दिनांक 17.10.1973

51.जी.एस.आर.सं0 1196 दिनांक 3.11.1973 (अधिसूचना सं0 1(1)/73-एम-6 दिनांक 17.10.1973

52. जी.एस.आर सं0 509 दिनांक 25.5.1974(अधिसूचना सं0 1(20)/73-एम-6 दिनांक 15.5.1974

53.जी.एस.आर सं0 1331 दिनांक 14.12.1974 (अधिसूचना सं0 1(4)/71-एम-6 दिनांक 28.11.1974

54. जी.एस.आर.सं0 1332 दिनांक 14.12.1974(अधिसूचना सं0 1(39)/72-एम-6 दिनांक 28.11.1974

55.जी.एस.आर.सं0 1333 दिनांक 14.12.1974 अधिसूचना सं0 1(25)/73-एम-6 दिनांक 28.11.1974

56.जी.एस.आर.सं0 396 दिनांक 22.3.1975 (अधिसूचना सं0 3(1)/74-एम-5 दिनांक 14.3.1975

57.जी.एस.आर सं0 1164 दिनांक 7.8.1976(अधिसूचना सं0 1(70)/73-एम-6 दिनांक 22.7.1976

58.जी.एस.आर सं0 952 दिनांक 23.7.1977 अधिसूचना सं0 1(29)/76-एम-6 दिनांक 2.7.1977

59.जी.एस.आर.सं0 734 दिनांक 26.5.1979 (अधिसूचना सं0 1(74)/75-एम-6 दिनांक 2.5.1979

60.जी.एस.आर.सं0 804 दिनांक 9.6.1979 (अधिसूचना सं0 7 (2)/78-एम-6 दिनांक 22.5.1979

61.जी.एस.आर सं0 835 दिनांक 16.6.1979 (अधिसूचना सं0 1(79)/73-एम-6 दिनांक 31.5.1979

62.जी.एस.आर सं0 146 दिनांक 2.2.1980 (अधिसूचना सं0 3(51)/74 - एम-6 दिनांक 16.1.1980

63.जी.एस.आर सं0 824 दिनांक 2.10.1982 (अधिसूचना सं0 7(1)/82-एम-6 दिनांक 2.10.1982

64.जी.एस.आर.सं0 296 दिनांक 9.4.1983 (अधिसूचना सं0 6(9)/78-एम-6 दिनांक 18.3.1983

65.जी.एस.आर सं0 838 दिनांक 12.11.1983 अधिसूचना सं0 6(6)/82-एम-6 दिनांक 28.10.1983

66.जी.एस.आर सं0 298 दिनांक 17.3.1984 अधिसूचना सं0 16(33)/82-एम-6 दिनांक 28.2.1984

67.जी.एस.आर सं0 826 दिनांक 4.8.1984 (अधिसूचना सं0 6(9)78-एम-6 दिनांक 27.7.1984

68.जी एस.आर.सं0 877 दिनांक 21.9.1985 अधिसूचना सं0 7(2)/85-एम-6 दिनांक 3.9.1985

69.जी.एस.आर सं0 146 दिनांक 22.2.1986 अधिसूचना सं0 7(6)/85-एम-6 दिनांक 6.2.1986

70.जी.एस.आर.सं0 888 दिनांक 18.10.1986 (अधिसूचना सं0 7(4)/85-एम-6 दिनांक 22.9.1986

71.जी.एस.आर सं0 86(ई) दिनांक 10.2.1987(अधिसूचना सं0 1(7)/84-एम-6 दिनांक 10.2.1987

72.जी.एस.आर सं0 855(ई) दिनांक 14.10.1987 (अधिसूचना सं0 18/(9)87-एम-6 दिनांक 14.10.1987

73.जी.एस.आर सं0 1002(ई) दिनांक 21.12.1987 (अधिसूचना सं0 6(3)/87-एम-6 दिनांक 21.12.1987

74.जी.एस.आर सं0 449(ई) दिनांक 13.4.1988 (अधिसूचना सं0 7(7)/87-एम-6 दिनांक 13.4.1988

75.जी.एस.आर.सं0 908 (ई) दिनांक 19.10.1989 (अधिसूचना सं0 7(1)/89-एम-6 दिनांक 19.10.1989

76.जी.एस.आर सं0 129(ई) दिनांक 11.3.1991 (अधिसूचना सं0 7(1)/90-एम-6 दिनांक 20.2.1991

77.जी.एस.आर सं0 197(ई) दिनांक 1.4.1991 (अधिसूचना सं0 7(1)/90-एम-6 दिनांक 1.4.1991)

78.जी.एस.आर.सं0 6 (ई) दिनांक 7.1.1993 (अधिसूचना सं0 7(3)/92-एम-6 दिनांक 7.1.1993)

79.जी.एस.आर सं0 345(ई)दिनांक 30.3.1994 (अधिसूचना सं0 7(1)/93-एम-6 दिनांक 30.3.1994)

80.जी.एस.आर सं0 724(ई)दिनांक 27.9.1994 (अधिसूचना सं0 1(7)/93-एम-6 दिनांक 27.7.1994)

81.जी.एस.आर सं0 634(ई) दिनांक 13.9.1995(अधिसूचना सं0 7(2)/95-एम-6 दिनांक 28.8.1995)

82.जी.एस.आर.सं0 9(ई)दिनांक 4.1.1999(अधिसूचना सं0 7(1)/98-एम-6 दिनांक 4.1.1999)

83.जी.एस.आर.सं0 56(ई)दिनांक 18.1.2000 (अधिसूचना सं0 7/3/99 एम 6 दिनांक 17.1.2000)

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 743(E).— -In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 2000.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter called the Principal Rules), in rule 22, in sub-rule (4A), for the portion beginning with the words "Notwithstanding anything contained" and ending with the words and figures "Mineral Conservation and Development Rules, 1988", the following shall be substituted, namely:-

"Notwithstanding anything contained in sub-rule(4), the State Government shall be competent to approve mining plan of open cast mines (mines other than the underground mines) in respect of the following non-metallic or industrial minerals in their respective territorial jurisdiction, namely:-

(i) Agate
(ii) Ball Clay
(iii) Barytes
(iv) Calcareous Sand
(v) Calcite
(vi) Chalk
(vii) Clay (Others)
(viii) Corundum
(ix) Diaspore
(x) Dolomite
(xi) Dunite/pyroxenite
(xii) Felsite
(xiii) Felspar
(xiv) Fireclay
(xv) Fusch. Quartzite
(xvi) Gypsum
(xvii) Jasper
(xviii) Kaolin
(xix) Laterite
(xx) Limekankar
(xxi) Ochre
(xxii) Pyrophyllite
(xxiii) Quartz
(xxiv) Quartzite
(xxv) Sand (Others)
(xxvi) Shale
(xxvii) Silica Sand
(xxviii) Slate
(xxix) Steatite/Talc/Soapstone";

4. In rule 37 of the Principal Rules, in sub-rule(2), words and figures "subject to the conditions specified in the proviso to rule 35", shall be omitted.

5. In the Principal Rules, after rule 64A, the following rules shall be inserted, namely:-

"64B. Charging of Royalty in case of minerals subjected to processing.- (1) In case processing of run-of-mine mineral is carried out within the leased area, then, royalty shall be chargeable on the processed mineral removed from the leased area.

(2) In case run-of-mine mineral is removed from the leased area to a processing plant which is located outside the leased area, then, royalty shall be chargeable on the unprocessed run-of-mine mineral and not on the processed product.

64C. Royalty on tailings or rejects.- On removal of tailings or rejects from the leased area for dumping and not for sale or consumption, outside leased area such tailings or rejects shall not be liable for payment of royalty:

Provided that in case so dumped tailings or rejects are used for sale or consumption on any later date after the date of such dumping, then, such tailings or rejects shall be liable for payment of royalty.

64D. Guidelines for computing royalty on minerals on ad valorem basis.- Every mine owner, his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee shall follow the following Guidelines for computation of the amount of royalty on minerals where the royalty is charged on ad valorem basis, namely:-

Guidelines:

The Guidelines for calculation of royalty in typical cases are as follows, namely:-

Case 1 : For minerals sold in the domestic market by the mine-owners.-

(a) Single stage transportation.- In the case of single stage transportation, the mineral is loaded once at the mine site and is despatched by road or railway or any other means of transportation straightaway to the destination and finally unloaded at the destination. In such cases, the sale price actually realised, less the cost of transportation and the cost of unloading at the destination as shown by the mine-owners in their sale vouchers or bills or invoices may be considered for computing ad valorem royalty. To avoid payment of taxes on royalty, the mine owners may in their own interest record the price and royalty separately in the sale vouchers or bills or invoices instead of indicating a composite price inclusive of royalty. In case price and royalty are not shown separately, it may be presumed that the price indicated in the sale vouchers or bills or invoices is exclusive of royalty and royalty shall be charged accordingly.

In case of any doubt with regard to the sale price or deductions, certificate of a registered chartered accountant shall be accepted.

In case any transaction takes place on the basis of a provisional sale voucher or invoice or bill, then, computation of royalty may be provisional subject to final settlement based on final voucher or invoice or bill.

(b) Multi-stage transportation.- In case of multi-stage transportation,the sale price actually realised, less total costs of transportation, loading and unloading at different points outside the lease area, insurance charges, sampling and analysis charges, royalty, taxes, cess and plot charges at different points as may be applicable, and as shown by the mine owners separately in their sale vouchers or bills or invoices shall be considered for computing ad valorem royalty. In case price and royalty are not shown separately, it shall be presumed that the price indicated in the sale vouchers or bills or invoices is exclusive of royalty and royalty shall be charged accordingly.

In case of any doubt with regard to the sale price or deductions, certificate of a registered chartered accountant shall be accepted.

In case any transaction takes place on the basis of a provisional sale voucher or invoice or bill, then computation of royalty may be provisional subject to final settlement based on final voucher or invoice or bill.

Case 2 : For minerals which are exported.-

(a) Direct export.- In case of direct export by mine owners, the sale values for the purpose of royalty shall ordinarily be the free on board (f.o.b.) price realised, less transportation charges from the mine to the port, loading and unloading charges outside the lease area, packing charges, port charges (including sampling and analysis and demurrage charges, if any), insurance charges, royalty, taxes and interest charges on loan for export. However, in case of cost insurance and freight (c.i.f.) sales, sea freight, insurance and cost of unloading at destination port shall also be deducted from such price. For such purposes, the mine owner may prepare invoices or bills indicating the free on board price or cost insurance freight price, as the case may be, and each of the other charges, separately.

In case of any doubt with regard to the sale price or deductions, certificate of a registered chartered accountant shall be accepted.

(b) Export after blending.- In the case of export by the mine owner after blending, the mine owner may have two or more mines either in one state or in different states and he may bring his run-of-mine ores from these mines to a single point, blend them according to his requirement and export the blended ore or mineral In such cases, the total royalty on the blended material shall be computed in the manner as specified in the case 2(a) above and the royalty shall be apportioned according to the ratio of the quantities of ores drawn from different mines for blending and payment shall be made to the respective States in which the mines are located.

In case of any doubt with regard to the sale price or deductions, certificate of a registered chartered accountant shall be accepted.

Case 3 : For aluminium, primary gold, silver, copper, lead, zinc, nickel and tin.-

The total contained metal in the ore produced during the period for which the royalty is computed and reported in the statutory returns under Mineral Conservation and Development Rules,1988 or recorded in the books of the mine owners shall be considered for the purposes of computing the royalty in the first place and then the royalty shall be computed as the percentage of the average metal prices in the London Metal Exchange (hereinafter referred to as the LME) for copper, lead, zinc, nickel, silver and tin and London Bullion Market Association price (commonly known as London price) for gold during the period of computation of royalty. The foreign exchange rate for conversion of rupee shall be the selling rate on the last date of the period of computation as published in newspaper namely, The Economic Times For the LME prices as well as for London price of the commodity, either of the following three sources shall be referred to, namely:-

(i) Non-ferrous Report : Minerals and Metals Review, 28/30, Anantwadi, P.O.Box 2749, Mumbai-400 002.

(ii) Metal Bulletin,
16, Lower Marsh,
London, SE-17 RJ.

(iii) World Metal Statistics; (Monthly or Quarterly Summary),
by World Bureau of Metal Statistics,
27a High Street, Ware, Herts SG12 9BA, United Kingdom.

Case 4 : For by-product gold and silver -

The guidelines for computation of ad valorem royalty shall be linked to the total quantity of metal produced and the LME price for silver and London Bullion Market Association price (commonly known as London price) for gold as in the case 3 above. However, in this case, the actual final production of the metal shall be considered instead of the metal content in the ore produced for the purposes of computing royalty.

Case 5 : For minerals produced in captive mines (other than aluminium, copper, lead, zinc, tin, nickel, gold and silver) and those not actually sold.-

In India, the minerals for the purposes of this case mean the minerals produced from captive mines (other than aluminium, copper, lead, zinc, tin, nickel, gold and silver) and which are not actually sold. For computation of ad valorem royalty on such minerals, a notional cost shall be arrived at on the basis of the cost of production. The cost of production shall be reported by the

mine owners in the Annual Return of a year in the manner specified in the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 after taking into account the items specified in the List annexed with this case and, then, from these reported cost of production the elements of royalty, cess, taxes and dead rent, as may be applicable, shall be deducted. The net cost thus arrived at shall be the basis for computation of ad valorem royalty during the period following that year.

List:

The list of items to be taken into account for computation of the gross cost of production are the following, namely:-

(i) Direct cost :
  (a) Exploration
  (b) Mining
  (c) Beneficiation

(ii) Over head cost
(iii) Depreciation
(iv) Interest
(v) Royalty
(vi) Taxes
(vii) Dead rent
(viii) Packing charges
(ix) Research and Development expenditure

Note.- The State Governments may, if necessary, introduce systems of advance payment for the purpose of royalty collection and they may also impose any additional conditions in accordance with the law for the time being in force."

6. In Schedule I to the Principal Rules, in Form 'A' and Form 'B', after the figure and word "1 mile scale", the word and figures "or 1:50,000" shall be inserted.

[F. No. 7/3/99/M-VI]

S.P. GUPTA, Jt. Secy

Note: — The principal rules were published in the Official Gazette vide GSR No.1398 dated 26.11.1960 (Notification No.M-II-159(1)/57 dated 11.11.1960).

These rules were amended vide following notifications:-

1. GSR No.1459 dated 10.12.1960 (Notification No.M-II-159(1)/57 dated 1.12.1960.
2. GSR No.880 dated (Notification No.M-II-152(13)/61 dated 30.6.1961.
3. GSR No.1133 dated 16.9.1961(Notification No.M-II-169(44)/61 dated 7.9.1961
4. GSR No. dated (Notification No.M.II-164(12)/61 dated 16.10.1961.
5. GSR No.1446 dated 9.12.1961 (Notification No.M-II-159(18)/54 dated 2.12.1961
6. GSR No.166 dated 10.2.1962 (Notification No.M-V-3(1)/61 dated 1.2.1962
7. GSR No.718 dated 26.5.1962 (Notification No.M-II-152(33)/52 dated 16.5.1962
8. GSR No.1051 dated 4.8.1962 (Notification No.M-II-152(26)/59 dated 1.6.1962
9. GSR No.1076 dated 11.8.1962 (Notification No.M-V-3(1)/61 dated 6.8.1962
10. GSR No.1707 dated 15.12.1962 Notification No.M-II-152(18)/61 dated 4.12.1962
11. GSR No.104 dated 19.1.1963 Notification No.M-II-152(46)/62 dated 5.1.1963
12. GSR No. 805 dated 11.5.1963(Notification No.M-II-152(58)/61 dated 30.4.1963
13. GSR No. 842 dated 18.5.1963(Notification No.M-II-152(11)/62 dated 6.5.1963
14. GSR No.843 dated 18.5.1963 Notification No.M-II-169(44)/61 dated 6.5.1963
15. GSR No. 845 dated .....(Notification No.M-II-169(44)/61 dated 6.9.1963
16. GSR No.1243 dated 27.7..1963(Notification No.M-II-1(22)/63 dated 18.7.1963
17. GSR No.1214 dated 27.7.1963 Notification No.M-II-1(23)/63 dated 9.7.1963
18. GSR No.1278 dated 3.8..1963(Notification No.M-II-152(37)/62 dated 22.7.1963
19. GSR No.1595 dated 5.10.1963(Notification No.M-II-152(53)/60 dated 24.9.1963
20. GSR No.1685 dated 26.10.1963 Notification No.M-II-152(57)/61 dated 15.10.1963
21. GSR No.1348dated 19.9.1964 Notification No.1(62)/63-MII dated 9.9.1964
22. GSR No.140 dated 23.1.1965 Notification No. 1(52)/63 M-II dated 14.1.1965
23. GSR No.793 dated.....5.1965 Notification No. 1(62)/63 M-II dated 26.5.1965
24. GSR No.794 dated (Notification No.M-II-1(25)/64 dated 28.5.1965.
25. GSR No.1011 dated 24.7.1965 Notification No. 1(17)/63 M-II dated 19.7.1965
26. GSR No.1398 dated 25.9.1965 Notification No. 1(33)/65 M-II dated 10.9.1965
27. GSR No. 369 dated18.3.1967(Notification No.1(26)/66-M-II dated 4.3.1967
28. GSR No. 370 dated 2.3.1968 (Notification No.1(2)/68-M-II dated 23.2.1968
29. GSR No. 634 dated 1.4.1968 (Notification No.1(42)/67-M-II dated 30.3.1968
30. GSR No.703 dated 13.4.1968 Notification No. 1(3)/68 M-II dated 30.3.1968
31. GSR No.704 dated 13.4.1968 Notification No. 1(33)/67 M-II dated 30.3.1968

32. GSR No. 154 dated 25.1.1969 (Notification No.1(3)/68-M-II dated 17.1.1969

33. GSR No. 791 dated 15.3.1969 (Notification No.1(51)/65-M-II dated 26.2.1969

34. GSR No.793 dated 15.3.1969 Notification No. .....M-II dated 5.3.1969

35. GSR No.939(E) dated 12.4.1969 Notification No. 1(8)/69 M-II dated 12.4.1969

36. GSR No.1116 dated 1.8.1970 Notification No. 1(25)/69 M-VI dated 12.5.1970

37. GSR No.1117 dated 1.8.1970 (Notification No.1(34)/68-M-VI dated 23.5.1970

38. GSR No.1974 dated 5.12.1970 Notification No. 1(27)/70 M-VI dated 12.11.1970

39. GSR No.1279 dated 11.9.1971 (Notification No.1(33)/67-M-VI dated 22.7.1971

40. GSR No.1579 dated 23.10.1971 (Notification No.1(3)/71-M-VI dated 6.9.1971

41. GSR No.1580 dated 23.10.1971 (Notification No.1(9)/71-M-VI dated 7.9.1971

42. GSR No.1581 dated 23.10.1971 Notification No. 1(19)/71 M-VI dated 9.9.1971

43. GSR No.1582 dated 23.10.1971 Notification No. 1(4)/71 M-VI dated 9.9.1971

44. GSR No.319 dated 18.3.1972 (Notification No.1(26)/71-M-VI dated 14.2.1972

45. GSR No.58 dated 20.1.1973 Notification No. 1(44)/72 M-VI dated 5.1.1973

46. GSR No.345 dated 31.3.1973 (Notification No.1(6)/71-M-VI dated 13.3..1973

47. GSR No.617 dated 9.6.1973 (Notification No.1(34)/71-M-VI dated 21.5.1973

48. GSR No.1010 dated 15.9.1973 (Notification No.1(12)/73-M-VI dated 31.8.1973

49. GSR No.1011 dated 15.9.1973 (Notification No.1(31)/71-M-VI dated 31.8.1973

50. GSR No.1195 dated 3.11.1973 (Notification No.1(11)/73-M-VI dated 17.10.1973

51. GSR No.1196 dated 3.11.1973 (Notification No.1(1)/73-M-VI dated 17.10.1973

52. GSR No.509 dated 25.5.1974 (Notification No.1(20)/73-M-VI dated 15.5.1974

53. GSR No.1331 dated 14.12.1974 (Notification No.1(4)/71-M-VI dated 28.11.1974

54. GSR No.1332 dated 14.12.1974 (Notification No.1(39)/72-M-VI dated 28.11.1974

55. GSR No.1333 dated 14.12.1974 Notification No. 1(25)/73 M-VI dated 28.11.1974

56. GSR No.396 dated 22.3.1975 (Notification No.3(1)/74-M-V dated 14.3.1975

57. GSR No.1164 dated 7.8.1976 (Notification No.1(70)/73-M-VI dated 22.7.1976

58. GSR No.952 dated 23.7.1977 Notification No. 1(29)/76 M-VI dated 2.7.1977

59. GSR No.734 dated 26.5.1979 (Notification No.1(74)/75-M-VI dated 2.5.1979

60. GSR No.804 dated 9.6.1979 (Notification No.7(2)/78-M-VI dated 22.5.1979

61. GSR No.835 dated 16.6.1979 (Notification No.1(79)/73-M-VI dated 31.5.1979

62. GSR No.146 dated 2.2.1980 (Notification No.3(51)/74-M-VI dated 16.1.1980

63. GSR No.824 dated 2.10.1982 (Notification No.7(1)/82-M-VI dated 2.10.1982

64. GSR No.296 dated 9.4.1983 (Notification No.6(9)/78-M-VI dated 18.3.1983

65. GSR No.838 dated 12.11.1983 Notification No.6(6)/82-MVI dated 28.10.1983

66. GSR No.298 dated 17.3.1984 Notification No. 16(33)/82 M-VI dated 28.2.1984

67. GSR No.826 dated 4.8.1984 (Notification No.6(9)/78-M-VI dated 27.7.1984

68. GSR No.877 dated 21.9.1985 Notification No. 7(2)/85 M-VI dated 3.9.1985

69. GSR No.146 dated 22.2.1986 Notification No. 7(6)/85 M-VI dated 6.2.1986

70. GSR No.888 dated 18.10.1986 (Notification No.7(4)/85-M-VI dated 22.9.1986

71. GSR No.86(E) dated 10.2.1987 (Notification No.1(7)/84-M-VI dated 10.2.1987

72. GSR No.855(E)dated 14.10.1987 (Notification No.18(9)/87-M-VI dated 14.10.1987

73. GSR No.1002(E) dated 21.12.1987 (Notification No.6(3)/87-M-VI dated 21.12.1987

74. GSR No.449 (E) dated 13.4.1988 (Notification No.7(7)/87-M-VI dated 13.4.1988

75. GSR No.908(E)dated 19.10.1989 (Notification No.7(1)/89-M-VI dated 19.10.1989

76. GSR No.129(E)dated 11.3.1991 (Notification No.7(1)/90-M-VI dated 20.2.1991

77. GSR No.197(E)dated 1.4.1991 (Notification No.7(1)/90-M-VI dated 1.4.1991)

78. GSR No. 6(E) dated 7.1.1993 (Notification No.7(3)/92-M.VI dated 7.1.1993.)

79. GSR No. 345(E) dated 30.3.1994 (Notification No. 7(1)/93-M.VI dated 30.3.1994)

80. GSR No.724(E)dated 27.9.1994 (Notification No.1(7)/93-M-VI dated 27.7.1994)

81. GSR No.634(E)dated 13.9.1995 (Notification No.7(2)/95-M-VI dated 28.8.1995)

82. GSR No.9(E) dated 4.1.1999 (Notification No.7(1)/98-M-VI dated 4.1.1999)

83. GSR No.56(E) dated 18.1.2000 (Notification No.7/3/99-M.VI dated 17.1.2000).

2594 GI/2000-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 744(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् -

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है।
2. ये नियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में नियम 42 में, "(i) पूर्णकालिक खनन इंजीनियर " कोष्ठक, अंक और शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " कार्य किया जा रहा है " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

"(i) निम्नलिखित प्रवर्ग 'क' की खानों के मामले में, एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर, अर्थात् -

(अ) ऐसी पूर्ण यंत्रीकृत प्रवर्ग ' क' खानें, जो ऐसी खाने होंगी, जहां गहरे छिद्र वेधन, उत्खनन, लदान और परिवहन के लिए भारी खनन मशीनरी का उपयोग करके कार्य किया जा रहा है, और

(आ) ऐसी पूर्ण यंत्रीकृत प्रवर्ग ' क' से भिन्न खानें, जो ऐसी खानें होंगी, जहां औसत नियोजन की संख्या कुल मिलाकर एक सौ पचास से अधिक हैं या पचहत्तर भूमि के नीचे कार्य करते हैं या कोई ऐसी खान, जहां गहरे छिद्र वेधन, उत्खनन, लदान, परिवहन आदि जैसी कोई भी खनन संक्रिया, भारी मशीनरी की सहायता से की जाती है, नियुक्त करेगा " ।

[फा. सं. 7/3/99/खान-VI]

एस.पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट :-मूल नियम,राजपत्र में, सा.का.नि. 1023 (अ) तारीख 24 अक्टूबर, 1988 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे तथा इन्हें सा.का.नि. 227(अ) दिनांक 22 अप्रैल, 1991, सा.का.नि. 580 (अ)तारीख 4 अगस्त, 1995 तथा सा.का.नि. सं. 55 (अ)तारीख 18.1.2000 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 744(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, namely :-

1. These rules may be called Mineral Conservation and Development (Second Amendment) Rules, 2000.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, in rule 42, for the portion beginning with the brackets, figure and words "(i) in case of a mine" and ending with the words "a whole-time mining engineer", the following shall be substituted, namely:-

"(i) in case of the following category 'A' mines, a whole-time mining engineer, namely :-

(A) fully mechanised category 'A' mines which shall be such mines where the work is being carried out by deployment of heavy mining machinery for deep hole drilling, excavation, loading and transport, and

(B) other than fully mechanised category 'A' mines which shall be such mines where the number of average employment exceeds one hundred and fifty in all or seventy-five in workings below ground, or a mine where any of the mining operations like deep hole drilling, excavation, loading and transport is carried out with the help of heavy machinery."

[F. No. 7/3/99/M-VI]

S.P. GUPTA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the official gazette vide GSR 1023(E) dated the 24th October, 1988 and were subsequently amended vide GSR 227(E) dated the 22nd April, 1991, GSR 580(E) dated the 4th August, 1995 and GSR 55(E) dated the 18th January, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.-2000